

नागरिक अधिकार-पत्र/ग्राहक अधिकार-पत्र

उर्वरक विभाग  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001  
वेबसाइट: [www.fert.nic.in](http://www.fert.nic.in)

जारी करने की तारीख:- 21 मई, 2020

**नागरिक/ग्राहक अधिकार-पत्र- उर्वरक विभाग**

**उद्देश्य और मिशन**

**उद्देश्य:-**

सुदृढ़ घरेलू उर्वरक उद्योग द्वारा समर्थित सतत कृषि विकास हेतु देश के लिए उर्वरक सुरक्षा हासिल करना

**मिशन:-**

देश में उर्वरकों के योजनाबद्ध उत्पादन और आयात तथा वितरण और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की योजना के जरिए किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त और समयोचित उपलब्धता सुनिश्चित करना।

**अधिकार-पत्र समीक्षा की अगली तारीख:-** 31 मई, 2022

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष सं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
							श्रेणी	पद्धति	राशि
1.	स्वदेशी यूरिया के लिए उर्वरक कंपनियों को समय पर राजसहायता का भुगतान	श्रीमती रेखा शर्मा, संयुक्त निदेशक (एफएंडए)	<a href="mailto:rekha.sharma62@nic.in">rekha.sharma62@nic.in</a>	26106817	स्वदेशी यूरिया जारी रियायत दर पर 60 दिन के अन्दर लेखागत भुगतान पर 95%	1. अनुलग्नक I,II, V, IX, X, ईसीए विवरण और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राप्ति रिपोर्टें 2. चार्टर्ड अकाउंटेंट/सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण-पत्र, जहां कहीं आवश्यक हों 3. पूर्ण दावे की हस्ताक्षरित प्रति (एफएमएस में अपलोड की गई) 4. जून के दावों के साथ इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा भली-भांति हस्ताक्षरित पिछले वर्ष के अनुलग्नक III और XI 5. संबंधित तिमाही के समाप्ति के माह के दावे सहित प्रत्येक तिमाही के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुलग्नक XII (क) और XII (ख)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
					वार्षिक रियायत दर पर 30 दिन के भीतर 5% बकाया दावे का भुगतान	1. पूर्ण दावे की हस्ताक्षरित प्रति (एफएमएस पर अपलोड की गई) 2. चार्टर्ड अकाउंटेंट/सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र जहां कहीं आवश्यक हो। 3. प्रोफार्मा बी-1 तथा बी-2, जो भी लागू हो।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
					30 दिनों के भीतर बड़े हुए दावों का निपटान		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**मुख्य सेवाएं/लेन-देन**

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष सं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
							श्रेणी	पद्धति	राशि
2.	स्वदेशी सहित आयातित पीएण्डके आयातित यूरिया, तथा शहरी कंपोस्ट हेतु उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का समय पर भुगतान	डॉ. मधु शर्मा, निदेशक (ए/सी)	madhu.sharma86@gov.in	(23062608)	<b>आयातित यूरिया</b> प्रारंभिक भुगतान दावा की गई राशि के 98% का भुगतान 10 कार्य दिवसों के अंदर	<b>एसटीई द्वारा प्रस्तुत 98% अग्रिम भुगतान दावा बिल के लिए जांच सूची:</b> 1. उर्वरक विभाग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र 2. एसटीई की बिक्री-खरीद समिति (एसपीसी) द्वारा अनुमोदन और आपूर्तिकर्ताओं से निष्पादन गारंटी (पीजी) बॉर्ड के लिए वचन-पत्र 3. बैंक से क्रेडिट पत्र (एलसी) खोलने का प्रमाण पत्र 4. सेलिंग एडवाइस 5. खरीद संविदा 6. बीमा प्रमाण-पत्र 7. उर्वरक विभाग द्वारा जारी नामांकन संदेश और 8. ट्रांसचार्ट से सीएण्डएफ की माफी 9. लदान-पत्र (बीएल) 10. लोडपोर्ट गुणता प्रमाणपत्र 11. दस्तावेज के बदले नकद (सीएडी) भुगतान के लिए उर्वरक विभाग का अनुमोदन 12. एईडी में आयात भुगतान के मामले में पहुंच रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
						<b>यूरिया की लागत के 100% भुगतान के लिए जांच सूची:-</b> <b>जहाजरानी प्रभाग से प्राप्त मैसर्स ओमिफको के दावे</b> 1. लदान-पत्र (बीएल) 2. वाणिज्यिक बीजक 3. उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र 4. भराई (स्टोवेज) योजना 5. प्रारूप सर्वे रिपोर्ट 6. लोडपोर्ट पर गुणता प्रमाण-पत्र 7. नामांकन संदेश			

**मुख्य सेवाएं/लेन-देन**

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष सं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
							श्रेणी	पद्धति	राशि
					<b>आयातित यूरिया अंतिम भुगतान</b> शेष 2% दावा	एसटीई द्वारा प्रस्तुत 2% भुगतान दावा बिल के लिए जांच सूची:- 1. बीमा दस्तावेज 2. आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान के समर्थन में बैंक अग्रिम 3. वाणिज्यिक बीजक 4. लदान-पत्र (बीएल) 5. लोड बंदरगाह ड्रॉट सर्वे रिपोर्ट 6. मूल देश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र 7. लोडपोर्ट पर निरीक्षण/गुणता का प्रमाण-पत्र 8. उत्तराई बंदरगाह का गुणता प्रमाणपत्र 9. भर्राई (स्टोवेज) योजना 10. निरीक्षण एजेंट द्वारा विधिवत सत्यापित विक्रेता निरीक्षण प्रमाणपत्र 11. उत्तराई बंदरगाह पर संयुक्त ड्राट सर्वे रिपोर्ट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
					<b>आयातित यूरिया</b> आरंभिक भुगतान 7 कार्य दिवसों के भीतर 90% महासागर मालभाड़ा राशि	<b>90% महासागर मालभाड़ा हेतु</b> 1. शिपिंग प्राधिकार 2. लदान-पत्र की प्रति 3. सेलिंग एडवाइस की प्रति 4. निकासी नोट 5. चार्टर पार्टी करार की प्रति 6. उत्तराई पोर्ट पर एनओआर की प्रति			
					<b>आयातित यूरिया</b> अंतिम भुगतान 60 दिनों के भीतर 10% महासागर मालभाड़ा राशि	<b>शेष 10% महासागर मालभाड़ा हेतु</b> 1. शिपिंग प्राधिकार 2. लोडपोर्ट ले टाइम गणना 3. उत्तराई पोर्ट ले टाइम गणना 4. निकासी नोट 5. ले टाइम गणना द्वारा जहाजरानी प्रभाग का अनुमोदन			

**मुख्य सेवाएं/लेन-देन**

क्र. सं.	सेवाएं/ लेन- देन	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष सं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
							श्रेणी	पद्ध ति	राशि
					<p><b>स्वदेशी एवं आयातित पीएण्डके उर्वरकों का आरम्भिक भुगतान</b></p> <p>पूर्ण प्रलेखित दावों की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर एनबीएस दर के आधार पर 85%/90% राशि के समान दावों का लेखागत भुगतान</p>	<p><b>लेखागत दावे (एसएसपी को छोड़कर):-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 'क' और 'ग'</li> <li>2. सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाण-पत्र</li> <li>3. वचन-पत्र</li> <li>4. कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुलग्नक-1</li> <li>5. बैंक गारंटी (90% दावों के मामले में)</li> <li>6. एमआरपी का प्रमाणपत्र</li> <li>7. लागत आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रमाणपत्र</li> </ol> <p><b>एसएपी के संबंध में लेखागत दावे</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र 'क' और 'ग'</li> <li>2) सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र</li> <li>3) गुणता प्रमाण-पत्र</li> <li>4) उत्पादन प्रमाण-पत्र</li> <li>5) वचन-पत्र</li> <li>6) अनुलग्नक (लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिक्री के ब्यौरे को दर्शाने वाला)</li> <li>7) प्रपत्र ड.</li> <li>8) प्रपत्र च</li> <li>9) बैंक गारंटी (90% दावों के मामले में)</li> </ol>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
					<p><b>स्वदेशी एवं आयातित पीएण्डके उर्वरक अंतिम भुगतान</b></p> <p>पूर्ण प्रलेखित दावों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर बकाया दावों (15%/10%) का भुगतान</p>	<p><b>बकाया (15%/10%) दावे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रपत्र में दावा (समेकित) तथा कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा सांविधिक लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र बीएण्डडी में राज्यवार दावा।</li> <li>2. प्रपत्र बी1 में गुणता प्रमाणपत्र।</li> <li>3. प्रपत्र बी2 में गुणता प्रमाणपत्र (एसएसपी को छोड़कर)।</li> <li>4. एमएफएमएस में खुदरा विक्रेता पावती</li> </ol>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

मुख्य सेवाएं/लेन-देन

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	जिम्मेवार व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (दूरभाष सं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	फीस		
							श्रेणी	पद्धति	राशि
3.	<b>डीबीटी स्कीम</b> स्वदेशी तथा आयातित पीएंडके उर्वरकों, स्वदेशी यूरिया तथा शहरी कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का समय पर भुगतान	<b>डॉ. मधु शर्मा, निदेशक (ए/सी)</b>	<b>madhu.sharma86@g ov.in</b>	<b>23062608</b>	खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभग्राही को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक/ विनिर्माता/आयातक कंपनियों को राजसहायता का 100% भुगतान	1. आईएफडी की सहमति से कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जारी अग्रिम मंजूरी। 2. उर्वरक कंपनियों द्वारा आईएफएमएस में साप्ताहिक दावों की प्रस्तुति जिसमें खुदरा बिक्री केंद्र पर बेची गई उर्वरक की मात्रा, खुदरा विक्रेताओं की सूची दर्शाई गई हो जिन्होंने उर्वरक की बिक्री की तथा ऐसे लाभग्राही के ब्यौरे जिन्होंने राजसहायताप्राप्त उर्वरक खरीदा है। 3. प्रपत्र बी1 तथा बी2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	(i)डीएसीएण्डएफड ब्ल्यू के आवश्यकता के अनुमान के अनुसार सभी राज्यों में उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीके) की उपलब्धता सुनिश्चित करना। (ii)डीएसीएण्डएफड ब्ल्यू द्वारा आकलित किये गये अनुसार स्वदेशी उत्पादन और आवश्यकता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए समय से यूरिया के आयात की व्यवस्था करना।	<b>श्री जतिन चोपड़ा, एसी (संचलन)</b>	<b><a href="mailto:ac.movement-fert@nic.in">ac.movement-fert@nic.in</a></b>	<b>9717646416</b>  (23381828)	खरीफ के लिए 25 मार्च  रबी के लिए 25 सितम्बर	डीएसीएण्डएफडब्ल्यू से अंतिम आवश्यकता तथा उर्वरक विभाग के पीएण्डआई प्रभाग से उत्पादन आंकड़ों की प्राप्ति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

5.	डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार उत्पादन का समय पर निर्धारण	श्री जोहान टोपनो डीएस (ईएण्डएस)	<a href="mailto:Johan.topno@nic.in">Johan.topno@nic.in</a>	9868101749 (23388064)	कंपनियों से उनके अनुमानित लक्ष्यों पर विचार विमर्श करने के पश्चात उत्पादन लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।	सभी कंपनियों के मौसम-वार तथा उत्पाद-वार अनुमानित उत्पादन लक्ष्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	विक्रेताओं को समय पर बिलों का भुगतान	श्री प्रभास कुमार, निदेशक	<a href="mailto:k.prabhas@nic.in">k.prabhas@nic.in</a>	9463913511 (23386398)	दावों की प्राप्ति		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	मांगी गई जानकारी का उत्तर देना	श्री विक्रान्त सचदेव (उपसचिव)	<a href="mailto:dsfin-fert@gov.in">dsfin-fert@gov.in</a>	6810157400 (23388536)	विभिन्न प्रकार की शंकायें	संगत दस्तावेज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	त्वरित शिकायत निवारण	श्री विक्रान्त सचदेव (उपसचिव)	<a href="mailto:dsfin-fert@gov.in">dsfin-fert@gov.in</a>	9810157400	शिकायतों की प्राप्ति	संगत दस्तावेज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

### सेवा मानक

क्र.सं.	सेवा/लेनदेन	सफलता संकेतक	सेवा मानक (दिवस)	इकाई	आंकड़ों का स्रोत
1.	स्वदेशी यूरिया के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का समय से भुगतान	<b>स्वदेशी यूरिया</b> जारी रियायत दर 60 दिनों के भीतर 95% लेखागत भुगतान	60	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
		वार्षिक रियायत दर पर 30 दिनों के भीतर 5% शेष दावे का भुगतान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
		30 दिन के भीतर वृद्धि दावों का निपटान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
2.	स्वदेशी तथा आयातित पीएंडके उर्वरक, आयातित यूरिया तथा शहरी कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का समय से भुगतान	1. <b>आयातित यूरिया</b> (i) आयातित यूरिया के लिए निधियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन दावा की गई राशि का 98%	10	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड



		(ii) निधियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन निपटान के 30 कार्य दिवस के भीतर शेष भुगतान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
		<b>2. स्वदेशी यूरिया तथा आयातित पीएण्डके</b> (i) जारी रियायत दर पर 60 दिन के भीतर आरंभिक भुगतान।	60	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
		(ii) निधियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन दावे की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर वृद्धि दावों का निपटान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
		3. निधियों की उपलब्धता के अधीन पूर्णरूपेण प्रलेखित पीएण्डके उर्वरकों के दावों के संबंध में 10 दिन के भीतर लेखागत भुगतान के रूप में कुल राजसहायता बिलों की 85/90% प्राप्ति	10	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
		4. निधियों की उपलब्धता के अध्यक्षीन उर्वरकों के भुगतान तथा बिक्री/दावों की प्राप्ति सहित 30 दिन के भीतर पीएण्डके उर्वरकों का शेष भुगतान	30	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
3.	<b>डीबीटी स्कीम</b> स्वदेशी तथा आयातित पीएण्डके, आयातित यूरिया तथा शहरी कंपोस्ट के लिए उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का समय से भुगतान	खुदरा विक्रेता द्वारा लाभग्राही को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक/ विनिर्माता/आयातक कंपनियों को राजसहायता का 100% भुगतान <b>उपलब्धि:</b> संपूर्ण देश में डीबीटी को चरणबद्ध तरीके से निरंतर लागू किया जा रहा है और यह मार्च, 2018 तक पूरा हो जाएगा। अगले वित्त वर्ष 2018-19 में उपलब्धियों की मात्रा का पता चल जाएगा।	7	कार्य दिवस	फाइलें और रिकार्ड
4.	उर्वरक कंपनियों के 100% उत्पादन का समय पर निर्धारण	खरीफ के लिए मार्च तक रबी के लिए सितम्बर तक	31 मार्च 30 सितम्बर	दिनांक	फाइलें और रिकार्ड
5.	विक्रेताओं को समय पर बिलों का भुगतान	दिनों की संख्या	30	कार्य दिवस	100%
6.	मांगी गई जानकारी का उत्तर	दिनों की संख्या	30	कार्य दिवस	100%

7.	शिकायत का त्वरित निवारण	दिनों की संख्या	30	कार्य दिवस	विभाग से संबंधित मामलों का 30 दिनों के भीतर निपटान किया गया। तथापि, उर्वरक पीएसयू से संबंधित कुछ मामलों में 30 से अधिक दिन लगे। तथापि, याचिकाओं के निपटान की औसत दर पूर्व में 46 मामलों से कम होकर 34 मामले हो गई है। समय निपटान तकरीबन 80% है।
----	-------------------------	-----------------	----	------------	---

**उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र (2020)**

वेबसाइट -<http://pgportal.gov.in/> पर देखें।

**शिकायत निवारण अधिकारी:-**

क्रम सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन	ई-मेल	मोबाइल
1.	श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, संयुक्त सचिव	011-23380221	Sensharm.up@nic.in	8874555513

उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र (2020)

पणधारियों/ग्राहकों की सूची

क्र.सं.	पणधारी/ग्राहक
1.	<p>उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी पीएसयू/सहकारी समिति, अपनी वेबसाइटों सहित, इस प्रकार हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-<a href="http://www.nationalfertilizers.com">www.nationalfertilizers.com</a></li><li>2. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)-<a href="http://www.rcfltd.com">www.rcfltd.com</a></li><li>3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)-<a href="http://www.madrasfert.in">www.madrasfert.in</a></li><li>4. दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)-<a href="http://www.fact.co.in">www.fact.co.in</a></li><li>5. प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)-<a href="http://www.pdilin.com">www.pdilin.com</a></li><li>6. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)-<a href="http://www.bvfcl.com">www.bvfcl.com</a></li><li>7. एफसीआई-अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल)-<a href="http://www.fagmil.nic.in">www.fagmil.nic.in</a></li><li>8. फर्टिलाइजर को-आपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल)-<a href="http://www.fertcorpindia.nic.in">www.fertcorpindia.nic.in</a></li><li>9. कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको)-<a href="http://www.kribhco.net">www.kribhco.net</a></li><li>10. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) - <a href="http://www.iffco.in">www.iffco.in</a></li></ol> <p>आगे जानकारी के लिए कंपनियों की संबंधित वेबसाइट देखी जा सकती है।</p>
2.	<p>अन्य सभी उर्वरक उत्पादक कंपनियां आगे जानकारी के लिए कंपनियों की संबंधित वेबसाइट देखी जा सकती हैं।</p>
3.	<p>कृषि एवं सहकारिता विभाग</p>
4.	<p>राज्य सरकारें</p>
5.	<p>उर्वरकों के आयातक (यूरिया, डीएपी, एमओपी, मिश्रित) आगे जानकारी के लिए उर्वरक विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है।</p>
6.	<p>आयातक/कच्ची सामग्री आपूर्तिकर्ता आगे जानकारी के लिए उर्वरक विभाग की वेबसाइट देखी जा सकती है।</p>
7.	<p>अन्य मंत्रालय (वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रेल मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, योजना आयोग, लोक उद्यम विभाग, लोक उद्यम चयन बोर्ड, प्रशुल्क आयोग, डीजीएफटी आदि।</p>
8.	<p>किसान</p>

उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र (2020)

उत्तरदायी केन्द्र और अधीनस्थ संगठन

क्र.सं.	उत्तरदायी केन्द्र और अधीनस्थ	लैंडलाइन नं.	ई-मेल	मोबाइल नं.	पता
1.	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी)- यह उर्वरक विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।	26109820	<a href="mailto:dirfa-fert@nic.in">dirfa-fert@nic.in</a>	9873430441	8वां तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
2.	प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)	2529809	<a href="mailto:noida@pdilin.com">noida@pdilin.com</a>	8527889103	पीडीआईएल भवन, ए-14, सेक्टर-1, नोएडा-201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)	25941001	<a href="mailto:cmd@madrasfert.nic.in">cmd@madrasfert.nic.in</a>	9810077986	मणलि, चेन्नै -600068
4.	एफसीआई-अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल)	2544392	<a href="mailto:fagmil@redifmail.com">fagmil@redifmail.com</a>	9810593331	मांगू सिंह राजवी मार्ग, पावटा "बी" रोड जोधपुर-342010 (राजस्थान)
5.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)	2500207	<a href="mailto:bvfcnam@bsnl.in">bvfcnam@bsnl.in</a>	9711350282	नामरूप, पो.आ. परपातपुर-786623, जिला डिब्रूगढ़, असम
6.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)	24045100	<a href="mailto:corpotech@rcfltd.com">corpotech@rcfltd.com</a>	9868222899	ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे 'सायन' मुंबई-400 074
7.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)	2412383	<a href="mailto:snmahey@nfl.co.in">snmahey@nfl.co.in</a>	9818662210	ए-10, सेक्टर-24, नोएडा-201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (यूपी)
8.	दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट)	2546126	<a href="mailto:fact@vsnl.net">fact@vsnl.net</a>	9910465577	उद्योगमंडल-683501, केरल
9.	कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको)	2537113	<a href="mailto:rajanchowdhry@kribhco.net">rajanchowdhry@kribhco.net</a>	9910331445	प्लॉट नं.ए-10, सेक्टर-1, नोएडा-201301, जिला गौतमबुद्ध नगर (यूपी)
10	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर, को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको)	42592601	<a href="mailto:usawasthi@iffco.in">usawasthi@iffco.in</a>	9810113096	इफको सदन, सी-1, जिला सेंटर साकेत प्लेस, नई दिल्ली - 110017

नागरिक/ग्राहक अधिकार पत्र-उर्वरक विभाग (2020)

सेवा से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

क्र.सं.	सेवा प्राप्त कर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षाएं
1.	राजसहायता दावों की संपूर्ण दस्तावेजों के साथ समय पर प्रस्तुति
2.	कृषि एवं सहकारिता विभाग और राज्य सरकारों से उर्वरकों की आवश्यकता का पुष्ट और वास्तविक प्रक्षेपण
3.	राज्य सरकार द्वारा केवल कृषि उद्देश्य के लिए उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करना
4.	काला बाजारी/जमाखोरी/चोरी रोकने के लिए उर्वरकों की बिक्री पर निगरानी
5.	उर्वरक उत्पादक उद्योग द्वारा उत्पादन सुनिश्चित करना
6.	पीएसयूज द्वारा ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन सुनिश्चित करना
7.	किसानों द्वारा उर्वरकों का संतुलित उपयोग
8.	किसानों द्वारा निर्धारित एमआरपी पर उर्वरकों की खरीद
9.	जिला कलेक्टरों अथवा कृषि विभाग को कालाबाजारी/कदाचार की घटना की जानकारी
10.	वितरण, संचलन, बिक्री और उर्वरकों से जुड़े किन्हीं अन्य मामलों में सुधार के लिए सुझाव